APP-A
Crime-I

FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

सम्पत व अन्य बनाम रमेश व अन्य

किस्म मुकदमा /अपील एल0आर0–76/नं0 139/सन् 2021 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी. अभि. श्री राजेन्द्र प्रसाद अभि. केवियटकर्ता/रेस्पो सं0 1 : श्री शिवप्रकाश चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.07.2021	पत्रावली बाद जॉच पेश हुई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद व केवियटकर्ता/रेस्पो. सं 1 अभिभाषक श्री शिवप्रकाश चौधरी उपस्थित हैं जिनके द्वारा जबाब मियाद प्रार्थना पत्र व अन्तर्गत धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है। दोनो प्रार्थना पत्रों की प्रतियां प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। केवियटकर्ता/रेस्पो. सं 1 अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र से पूर्व बहस कर निस्तारित करने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली रिजर्व रखी जाती है। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	
03/8/2021	पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। केवियटकर्ता/रेस्पो. सं 1 अभिभाषक के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. में कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुये निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 16.04.2021 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण सं0 3894 दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय "**नामान्तरकरण कार्यवाही एक Fiscal Proceeding मात्र है एवं नामान्तरकरण के आधार पर किसी भी पक्षकार के खातेदारी हक व अधिकार निर्धारित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।**" पारित किया गया। इस प्रकार अपील खारिज होने के उपरान्त प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 89 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दिनांक 21.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया व अन्तर्गत धारा 212 (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner

सम्पत व अन्य बनाम रमेश व अन्य

किस्म मुकदमा /अपील एलआर–76/नं0/2021/139 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपी. अभि. श्री राजेन्द्र प्रसाद अभि. केवियटकर्ता/रेस्पो सं0 1 : श्री शिवप्रकाश चौधरी

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 21.06.2021 को ही रेकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में खातेदारी उद्घोषणा का प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें ही हक अधिकारो का विनिचय होना है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील माननीय न्यायलय में संधारण योग्य नहीं है तथा न्यायालय के समक्ष अपील में उक्त तथ्यों को छुपाते हुये स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः रेग्युलर सक्षम वाद के विचाराधीन रहते समरी ट्रायल कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण अपील श्रवणार्थ ग्रहण के स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने केवियटकर्ता/रेस्पो. सं 1 अभिभाषक के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के संबंध में अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील को इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश 16.04.2021 से निरस्त कर दी गई है। उक्त अपील के संबंध में विधिक उपचार हेतु ही सक्षम न्यायालय में अपील की गई है तथा मियाद व स्थगन प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया गया है। अपील को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया तथा तब तक के लिये मामला अपील वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किये जाने का भी निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। केवियटकर्ता/रेस्पो.सं 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी. सी. के संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतियों का भी अवलोकन किया। अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.04.2021 के उपरान्त पीड़ित पक्षकार होने से प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 89 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अपने खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारों हेतु व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 21.06.2021 को ही रेकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी 10.08.2021 तक बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये हुये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमित राजस्व वाद दिनांक 21.06.2021 को पेश करने के उपरान्त भी इस न्यायालय में अपील दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा इसमें

(डॉ. बीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner

सम्पत व अन्य बनाम रमेश व अन्य

...स्म मुकदमा /अपील एलआर–76/नं0/2021/139 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी. अभि. श्री राजेन्द्र प्रसाद अभि. केवियटकर्ता/रेस्पो सं0 1 : श्री शिवप्रकाश चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है, उक्त तथ्यों को छुपाया भी गया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में राजस्व वाद प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी वाद में प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थगन भी प्राप्त है। चूकि नामान्तकरण कार्यवाही Summary Trial एवं Fiscal Proceeding मात्र है एवं नामान्तरकरण के आधार पर किसी भी पक्षकार के खातेदारी हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतएव ऐसी स्थिति में जबकि वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व विचरण न्यायालय में वाद विचाराधीन हो (वाद में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का स्थगन भी प्राप्त है) तो फिर नामान्तरकरण अपील आज इस स्तर पर चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होती है क्योकि नियमित राजस्व वाद के निस्तारण से ही वादग्रस्त आराजीयात बाबत नामान्तरकरण का भविष्य तय होना है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार केवियटकर्ता/रेस्पो. सं 1 अभिभाषक के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपील करने से पूर्व ही प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद अपने खातेदारी हक अधिकारों की उद्घोषणा का प्रस्तुत कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर निरस्त कर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner